43A/1

न्यायालय अपर सिविल जज (क. प्र) कोर्ट संख्या 5 हाथरस

उपस्थित: भावना शर्मा, जे0ओ0 कोड यूपी 3592

मूल वाद संख्या 573 सन 2009

गुलशेर खां बनाम रुखसाना आदि

CNR No. UPHT060007652009

गुलशेर खा पुत्र श्री अल्लानूर निवासी ग्राम बिल खोरा कला पोस्ट सुसायत कला तहसील सासनी जनपद महामाया नगर.....वादी

बनाम

1. श्रीमती रुखसाना पत्नी श्री शमशेर खा

2. शमशेर खा

3. उस्मान खा पुत्र गण श्री अल्लानूर खा समस्त निवासी गण ग्राम बिल खोरा कला पोस्ट सुसायत कला तहसील सासनी जनपद महामाया नगर हाल निवासी गण गली नंबर 6 नगला जमालपुर बाबू खा डेरी वालों का मकान अलीगढ़ जिला अलीगढ़

4. डोरीलाल पुत्र श्री श्याम लाल निवासी ग्राम हरी ओम एनक्लेव कॉलोनी माजरा कलवारी पोस्ट तेहरा परगना व तहसील हाथरस जनपद महामाया नगर.....प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रतिवादी गण के विरुद्ध बैनामा निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु संस्थित किया है।

संक्षेप में वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है की वाद के स्पष्टीकरण हेतु उभय पक्ष की वंशावली निम्न प्रकार है-

2

अमीरा (मृतक)

दीन मुहम्मद (मृतक) (नि: संतान)

अल्लानूर (मृतक)

गुलशेर खा (वादी) शमशेर खा (प्रतिवादी) उस्मान खा (प्रतिवादी)

भूमि खसरा संख्या 330 रकवा 1.1370 है0 एवं भूमि खसरा संख्या 578 रकवा 0.2060 है0 कुल रकवा 1.3430 है0 स्थित ग्राम बिल खोरा कला तहसील सासनी जिला हाथरस के संक्रमणीय भूमिधर मृतक श्री दीन मोहम्मद पुत्र श्री अमीरा थे और उक्त कृषि भूमि को बाबत सर्वाधिकार मृतक श्री दीन मोहम्मद को प्राप्त थे। उक्त कृषि भूमि के हस्तांतरण इत्यादि के सर्वाधिकार मृतक श्री दीन मोहम्मद को प्राप्त थे उक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा गया है। मृतक श्री दीन मोहम्मद लाऔलाद थे इस वजह से वादी मृतक श्री दीन मोहम्मद के पास ही रहता था तथा उनको हर प्रकार से देखभाल व सेवा सुश्रुषा वादी करता था तथा विवादित कृषि भूमि में कृषि कार्य वादी मृतक श्री दीनमोहम्मद के जीवन काल से ही करता चला आ रहा है। वादी को सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर मृतक श्री दीन मोहम्मद ने अपनी समस्त चल अचल संपत्ति को रजिस्टर्ड वसीयत वादी के हक में दिनांक 05.07.93 को तहरीर व निष्पादित कर दी। मृतक श्री दीन मोहम्मद का स्वर्गवास वर्ष 1997 में हो गया था। मृतक श्री दीन मोहम्मद को मृत्यु के बाद वादी मृतक श्री दीन मोहम्मद को समस्त चल अचल संपत्ति पर मालिक की हैसियत से काबिज व दखील है। वादी कानूनी अज्ञानता वश दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद विवादित कृषि भूमि में नाम परिवर्तन की कार्यवाही नहीं कर सका था। अब पंजीकृत वसीयत के आधार पर नाम परिवर्तन की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक श्री दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेखों में विरासत के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम की प्रविष्ट हो गई परंतु वास्तविक आधिपत्य विवादित कृषि भूमि पर वादी का कायम चला आता है। पंजीकृत वसीयत का संज्ञान प्रारंभ से ही प्रतिवादी को रहा है। विवादित कृषि भूमि का एकमात्र संक्रमणीय भूमिधर वादी है इसका संज्ञान होते हुए भी राजस्व अभिलेखों की गलत प्रविष्ट का नाजायज लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग का तथाकथित विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया जाना दर्शित कर दिया है जो निम्न आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य है। क. मृतक श्री दीन मोहम्मद विवादित कृषि भूमि के एकमात्र संक्रमणीय भूमिधर थे जिन्होंने वादी के हक में अपने समस्त चल व अचल संपत्ति को पंजीकृत वसीयत दिनांक 05.07.93 को तहरीर व निष्पादित कर दी थी बाद मृत्यु दीन मुहम्मद वादी विवादित भूमि का एकमात्र संक्रमणीय भूमिधर है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का विवादित कृषि भूमि से कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। तथाकथित विक्रय पत्र बिना अधिकार होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ख. तथाकथित विक्रय पत्र साजिश व षड्यंत्र के तहत कूट रचित दस्तावेज है जिसकी कूट रचना प्रतिवादी गण ने वादी के वैधानिक अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से की है। ग. तथाकथित विक्रय पत्र छल, फरेब, धोखेबाज नियति से तैयार किया गया दस्तावेज है जो मात्र कागजी कार्यवाही है तथाकथित विक्रय पत्र कपट पूर्ण तरीके से तैयार किया गया है। घ. तथाकथित विक्रय

43A/2

पत्र प्रतिफल रहित है। तथाकथित विक्रय पत्र के निष्पादन के समय किसी प्रतिफल धनराशि का आदान-प्रदान नहीं हुआ है। तथाकथित विक्रय पत्र के निष्पादन के समय विवादित कृषि भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई कब्जा नहीं था। तथाकथित विक्रय पत्र कब्जा रहित है। ड. प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी है तथाकथित विक्रय पत्र दिखावटी व बनावटी दस्तावेज है। च. प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 ने दौरान वाद प्रतिवादी संख्या 4 से साजिश करके तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2009 वादी के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित करने की बदनियति से साजिश व षड्यंत्र के तहत प्रतिवादी संख्या 4 के हक में तहरीर व निष्पादित किया तथा दर्शित कर दिया है जो धारा 52 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है और शून्य दस्तावेज है। तथाकथित विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए वादी ने प्रतिवादी गण से आग्रह व निवेदन किया है परंतु प्रतिवादी गण वादी की बात मानने को कतई तैयार नहीं है। प्रतिवादी गण ने वादी को धमकी दी है कि वह अति शीघ्र तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग को किसी भू माफिया को विक्रय कर देंगे अतः प्रतिवादी गण के खिलाफ वाद योजित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प वादी के पास नहीं है। तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी गण विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग पर नाजायज आधिपत्य करने को तत्पर है। प्रतिवादी गण ने दिनांक 13/11/09 को विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग पर नाजायज आधिपत्य करने का प्रयास किया जिसे वादी ने विफल कर दिया परंतु भविष्य में मौका मिलते ही विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग पर नाजायज आधिपत्य करने का प्रतिवादी गण ने धमकी दी है। प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग पर नाजायज आधिपत्य करने में विफल हो गए और उन्हें उक्त वाद के आलंबन का ज्ञान हो गया तो उन्होंने दिनांक 20/11/2009 को विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग का तथाकथित विक्रय पत्र वहक प्रतिवादी संख्या 4 साजिश व षड्यंत्र के तहत तहरीर व निष्पादित किया जाना अभिप्रेत कर दिया है। वाद का कारण दिनांक 28/08/2009 को तथाकथित विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि को दिनांक 13/11/09 को विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग पर नाजायज आधिपत्य करने के दिन एवं दिनांक 14/11/09 को न्यायालय से बाहर अंतिम इंकार करने के दिन एवं दिनांक 20/11/2009 को दौरान वाद प्रतिवादी संख्या 4 के हक में तथाकथित विक्रय पत्र अभिप्रेत किए जाने के दिन माननीय न्यायालय को न्याय सीमा अंतर्गत उत्पन्न हुआ और माननीय न्यायालय को वाद का श्रवण अधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन न्यायालय को न्याय सीमा निर्धारित करने हेतु विवादित कृषि भूमि के वार्षिक लगान मुबलिग 66.05 के 30 गुने मुबलिग 1981.50 पर कायम किया जाता है तथा न्याय शुल्क वास्ते निरस्तीकरण तथाकथित विक्रय पत्र लगान के 10 गुने मुबलिग 660.50 पर तथा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा लगान के 10 गुने मुबलिग 660.50 के 1/5 भाग पर प्रथक प्रथक अदा किया जाता है। वादी निम्न प्रतिकार पाने का अधिकारी है- अ. आज्ञप्ति वहक वादी व खिलाफ प्रतिवादी गण पारित की जाकर तथाकथित विक्रय पत्र वहक प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 26/08/09 जो रजिस्ट्री कार्यालय सासनी में पुस्तक संख्या 1 खंड जिल्द संख्या 421 पृष्ठ संख्या 293/316 क्रमांक 269 पर पंजीकृत है को वाद पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर निरस्त किया जाए व आवश्यक प्रवेश हेतु सूचना रजिस्ट्री कार्यालय सासनी को भेजी जाए। दौरान वाद प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में तहरीर व निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 20/11/2009 जो इलेक्ट्रोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 440 के पृष्ठ संख्या 379/408 के नंबर 2927 पर रजिस्ट्री कार्यालय सासनी में रजिस्ट्री कृत है को भी वाद पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर निरस्त किया जाए। ब. स्थाई निषेधाज्ञा वहक वादी व खिलाफ प्रतिवादी गण पारित की जाकर प्रतिवादी गण को निषेधित किया जाए कि वह विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 330 रकवा 1.1370 है0 एवं खसरा संख्या 578 रकवा 0.2060 है0 स्थित विलखोरा कला तहसील सासनी से वादी को जबरन बेदखल ना करें तथा वादी के कृषि कार्य में कोई व्यवधान ना करें। स. वाद व्यय वादी को प्रतिवादी गण से दिलाया जाए। द. अन्य प्रतिकार जो राय अदालत वह हितकर वादी हो वह भी दिलाया जाए।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की अनुपस्थिति में दिनांक 29/10/2014 को न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध वाद एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया था।

प्रतिवादी संख्या 4 डोरीलाल ने अपने प्रति वाद पत्र कागज संख्या 29ए1 में वाद पत्र की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मय उपमद "क" लगायत "च", 8 लगायत 12 मय उपमद "अ" लगायत "स" को और स्वीकार करते हुए अपने अतिरिक्त कथन में यह कथन किया गया है कि वादी को कोई विवाद का कारण प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध पैदा नहीं होता है और ना ही वादी कोई भी प्रतिकार प्रतिवादी संख्या 4 से पाने का अधिकारी है। वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 2 व 3 की समस्त इबारत सर्वदा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है जबकि वास्तविकता यह है कि मृतक श्री दीन मोहम्मद के पास हरगिस भी वादी नहीं रहता था बल्कि उक्त मृतक दीन मोहम्मद के अपने जीवन काल में स्थाई रूप से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ रहता था तथा उक्त प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 ही उनकी देखभाल सेवा सुश्रुषा एवं खानपान इत्यादि का प्रबंध करते थे तथा उनकी वृद्धावस्था में प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 ने उनका इलाज एवं दवा इत्यादि का प्रबंध किया तथा वादी ने अपने जीवन काल में उक्त मृतक की कभी देखभाल अथवा सेवा आदि नहीं की। इसके अतिरिक्त दीन मोहम्मद के जीवन काल में उनकी कृषि भूमि पर काबिज होकर प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 ही उनकी ओर से खेती करते थे। इसके अतिरिक्त कुल कथन वादी वाद पत्र की मद संख्या 2 एवं 3 सर्वदा मिथ्या एवं काल्पनिक है जो वादी ने महज वाद को रंगत देने के उद्देश्य से काल्पनिक तहरीर की है। वादी ने वाद पत्र की धारा 4 की समस्त इबारत सर्वदा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादी बहुत ही चतुर चालाक एवं झगड़ालू किस्म का मुकदमा बाज व्यक्ति है तथा वादी का इरादा शुरू से ही उक्त दीन मोहम्मद की जायदाद को हथियाने का रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त दीन मोहम्मद ने अपने जीवन काल में कथित दिनांक 05/07/1993 को अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति की वसीयत हरगिज़ भी वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं की। बल्कि वादी ने उक्त दीन मोहम्मद की जायदाद को अनाधिकृत रूप से हड़पने एवं कब्जाने के उद्देश्य से दीन मोहम्मद के जीवनकाल में ही दीन मोहम्मद के नाम से अपने किसी नजदीकी व्यक्ति से कथित वसीयत के गवाहान से चार्ज करके कथित दिनांक 05/07/1993 को फर्जी वसीयत निष्पादित कराई है जो हरगिस भी दीन मोहम्मद द्वारा छोड़ी गई प्रश्नपत्र कृषि भूमि का मालिक नहीं है और ना ही हो सकता। इसके विपरीत कुल कथन वादी वाद पत्र की धारा 4 सर्वथा मिथ्या है जो वादी ने महज वाद को रंगत देने के उद्देश्य से काल्पनिक तहरीर की है। वादी ने वाद पत्र की धारा 5 की समस्त इबारत सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई समस्त चल एवं अचल संपत्ति का मालिक एवं उस पर काबिज हरगिज भी दीन मोहम्मद नहीं है और ना वह कभी रहा बल्कि दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई समस्त चल एवं अचल संपत्ति के संयुक्त मालिक एवं काबिज दीन मोहम्मद के उत्तराधिकार वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 हुए तथा उनका दीन मोहम्मद द्वारा छोड़ी गई समस्त चल एवं अचल संपत्ति में प्रत्येक का अलग-अलग 1/3, 1/3 भाग था। इसके अतिरिक्त उक्त दीन मोहम्मद को अपने जीवन काल में अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वास्तव में यदि दीन मोहम्मद वादी के पक्ष में अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति की वसीयत निष्पादित करता तो दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई कुल कृषि भूमि में वादी मृतक दीन मोहम्मद के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अवश्य ही दाखिल खारिज कराने के उपरांत अपना नाम दर्ज करा लेता। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 आपस में सगे भाई हैं तथा उन्होंने आपस में साज कर दिया है तथा आपस में अपने द्वारा किए गए साज को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से वादी ने यदि राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कराए जाने हेतु राजस्व न्यायालय में यदि कोई कार्यवाही कर दी है तो उसके आधार पर दीन मोहम्मद द्वारा छोड़ी गई प्रश्नगत कृषि भूमि का एक स्वामी वादी हरगिज भी नहीं हो सकता। इसके विपरीत कुल कथन वादी वाद पत्र की धारा संख्या 5 सर्व

43 A
3

था मिथ्या है जो वादी ने महज वाद को रंगत देने के उद्देश्य से काल्पनिक तहरीर की है। वादी ने वाद पत्र की धारा संख्या 6 की समस्त इबारत भी सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 का नाम विरासत के आधार पर राजस्व अभिलेखों में वादी के पूर्ण ज्ञान एवं इल्म में दर्ज हुआ तथा वादी यह भली प्रकार जानता था कि दीन मोहम्मद अपने जीवन काल में कोई वसीयत उसके पक्ष में निष्पादित नहीं की इसलिए ही दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उसने कथित वसीयत के आधार पर दीन मोहम्मद द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल खारिज की कार्यवाही अमल में नहीं लाई। क्योंकि वादी ने दीन मोहम्मद के जीवन काल में उनकी जायदाद को कब्जाने के लिए दीन मोहम्मद के नाम की गवाहान की साज से फर्जी वसीयत तैयार की ऐसी परिस्थिति में कथित फर्जी वसीयत का प्रारंभ से ही ज्ञान प्रतिवादी गण को होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह की वादी में वाद पत्र की धारा संख्या 7 की समस्त इबारत सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है। बल्कि वास्तविकता यह है कि दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि की संयुक्त स्वामी एवं उस पर काबिज बतौर उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 हुए तथा उसमें प्रत्येक का 1/3, 1/3 भाग था तथा दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई कुल भूमि के 2/3 भाग का विक्रय प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 ने बतौर मालिक एवं उस पर काबिज होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया तथा कुल भूमि के अपने 2/3 भाग पर प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 ने क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 का क़बजा अपने द्वारा विक्रय की गई भूमि पर करा दिया। तदनुसार उक्त 2/3 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर खेती करने लग गई लेकिन अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति वश प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी अपने द्वारा क्रय की गई संपत्ति का विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 को कर दिया तथा अब प्रतिवादी संख्या 4 अपने द्वारा खरीदी गई भूमि पर बतौर मालिक काबिज होकर खेती कर रहा है तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रश्नगत भूमि के दृश्यमान स्वामी एवं उस पर काबिज प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 से कुल भूमि में उनके 2/3 भाग को खरीदकर खरीदे गए भाग पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त वर्णित भूमि के 2/3 भाग को उसके वास्तविक दृश्य मान स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 से खरीदने के पश्चात उक्त भूमि पर आधिपत्य प्राप्त किया है तदनुसार उक्त विक्रय पत्र किसी भी दशा में निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। वादी ने वाद पत्र की धारा संख्या 7 की उपमद क लगायत च की समस्त इबारत भी सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है जबकि वास्तविकता यह है कि दीन मोहम्मद के जीवन काल में उनकी देखरेख एवं सेवा प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 ही करते थे तथा दीन मोहम्मद को अपने जीवन काल में अपनी चल एवं अचल संपत्ति की वसीयत तहरीर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही उन्होंने कथित दिनांक 05/07/1993 को कोई वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की और ना ही वादी उक्त दीन मोहम्मद द्वारा छोड़ी गई विवादित कृषि भूमि का कभी संक्रमणीय भूमिधर रहा। कथित वसीयत वादी ने अपने मेल के किसी खास व्यक्ति एवं गवाहन से साज करके दीन मोहम्मद के नाम से फर्जी एवं कूट रचित निष्पादित कराई गई है। इसके अतिरिक्त दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि के विरासत संयुक्त स्वामी एवं बराबर बराबर के सहभागीदार वादी एवं प्रतिवादी गढ़ संख्या 2 व 3 थे तथा उन्होंने बतौर मालिक अपने 2/3 भाग का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने द्वारा खरीदी गई भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 को किया इस तरह उक्त विक्रय पत्र हरगिज़ भी बिना अधिकार निष्पादित नहीं किए गए हैं तथा हरगिज़ भी निरस्त होने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त विक्रय पत्र हरगिज़ भी कूट रचित नहीं है। बल्कि वह प्रश्नगत भूमि के वास्तविक एवं दृश्य मान स्वामी द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किए गए हैं। जिनके निष्पादित होने से वादी के किसी भी वैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता। इसके अतिरिक्त उसका कोई भी वैधानिक अधिकार भी समाप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रय पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रय पत्र हरगिज भी छल फरेब धोखे अथवा बदनियति से निष्पादित नहीं कराया है। क्योंकि उक्त

वर्णित विक्रय पत्र में वादी पक्षकार नहीं है इसलिए वादी को कोई भी अधिकार उक्त वर्णित विक्रय पत्र को छल फरेब धोके एवं वध नियति के आधार पर निष्पादित कराए जाने की कहने का नहीं है इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पक्ष में प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 को उनके भाग की भूमि का बाजार मूल्य अदा कर के विक्रय पत्र निष्पादन कराया तथा प्रतिवादी उत्तरदाता ने भूमि के वास्तविक स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य अदा करके खरीदा है तदनुसार उक्त विक्रय पत्र हरगिज भी प्रतिफल रहित नहीं है तथा वादी को कोई भी अधिकार उक्त विक्रय पत्रों को प्रतिफल रहित कहने का नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 द्वारा विक्रय की गई भूमि पर उक्त प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 का वास्तविक स्वामी की हैसियत से अधिकार एवं आधिपत्य था तथा विक्रय किए जाने के पश्चात अपने द्वारा विक्रय की गई भूमि पर उन्होंने क्रेता का आधिपत्य कराया है तथा अपने द्वारा क्रय की गई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 इस समय वास्तविक स्वामी की हैसियत से काबिज होकर खेती कर रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त विक्रय पत्र हरगिज भी दिखावटी एवं बनावटी दस्तावेज नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित किया गया विक्रय पत्र हरगिज़ भी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 अथवा विधि के किसी अन्य प्रावधान से बाधित नहीं है। इसके अतिरिक्त कुल कथन वादी वाद पत्र की मद संख्या 7 सर्वथा मय उपमद क लगायत च मिथ्या एवं काल्पनिक है। जो वादी ने महज वाद को रंगत देने के उद्देश्य से तहरीर की है। वादी ने वाद पत्र की धारा संख्या 8 की समस्त इबारत सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है जबकि वास्तविकता यह है कि वादी का कोई भी संबंध एवं सरोकार प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 की भूमि जिसका विक्रय पत्र उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को किया है, से नहीं है। इसलिए वादी को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से उक्त बैनामा को निरस्त कराने की कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी गण से उक्त बैनामा को निरस्त कराए जाने की कहने तथा प्रतिवादी गण द्वारा वादी को किसी भी प्रकार की धमकी देने आदि का कोई भी प्रश्न ही पैदा नहीं होता इसके अतिरिक्त क्योंकि बैनामा द्वारा विक्रय की गई प्रश्नपत्र भूमि से वादी का कोई भी संबंध एवं सरोकार नहीं है ऐसी परिस्थिति में वादी को उक्त बैनामा की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने के लिए उक्त वाद को प्रस्तुत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वाद में ने वाद पत्र की धारा संख्या 9 की समस्त इबारत भी सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का बतौर स्वामी कब्जा था जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा कराया गया था। तदोपरांत प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा अपने द्वारा विक्रय की गई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 4 का आधिपत्य करा दिया तथा प्रश्नपत्र भूमि पर इस समय प्रतिवादी संख्या 4 काबिज होकर खेती कर रहा है। इसके विपरीत प्रश्नगत जायदाद पर हरगिज़ भी वादी का कब्जा नहीं है और ना ही वादी का प्रश्न पत्र जायदाद से कोई संबंध एवं सरोकार है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 अपने गांव को छोड़कर स्थाई रूप से अन्यत्र रहने लग गई तथा प्रश्नपत्र भूमि पर काबिज होकर खेती करने में जब अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण और समर्थ हो गई तब उसने अपनी प्रश्नगत भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया तथा विवादित भूमि पर अब प्रतिवादी संख्या 4 काबिज होकर खेती कर रहा है। वादी ने वाद पत्र की धारा संख्या 10 की समस्त इबारत सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक तहरीर की है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध उक्त वाद को प्रस्तुत करने का कोई भी वास्तविक एवं वैध कारण पैदा नहीं होता है। इसके विपरीत वादी ने वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध बाद कारण पैदा होने की दिनांक एवं स्थान भी तहरीर नहीं किया है। तदनुसार वादी का उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित है। वादी ने उक्त वाद का मूल्यांकन प्रश्नगत भूमि के देय वार्षिक भू राजस्व कर दिया है। जबकि राजस्व अभिलेखों में प्रश्न कत भूमि का वार्षिक भू राजस्व जिला अधिकारी के अभिलेखों में वादी के नाम दर्ज नहीं है। तथा वाद का मूल्यांकन अलग-अलग डायनामो की प्रतिफल की धनराशि पर अलग-अलग प्रतिकार के अनुसार किया जाना विधि प्रावधानों के अनुसार आवश्यक एवं अनिवार्य है। तदनुसार वादी का उक्त वाद सर्वथा

43A/4

अधो मूल्य अंकित है तथा प्रदत्त न्याय शुल्क और पर्याप्त है। प्रश्न का भूमि वर्तमान में चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है। तथा विधि प्रावधानों के अनुसार जो भूमि चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है उसके संबंध में वादी चकबंदी न्यायालय द्वारा अपने अधिकार एवं स्वत्व का निर्धारण करा सकता है। तथा उक्त वाद माननीय न्यायालय में हरगिज भी पोषणीय नहीं है तथा उक्त वाद उ0प्र0जो0च0अधि0 की धारा 5 से बाधित है तथा उक्त के प्रावधानों के अनुसार वाद सर्वथा उपशमित हो चुका है। उक्त वाद को गुण दोष के आधार पर निर्णित किए जाने हेतु न्यायालय को प्रश्न पत्र भूमि के संबंध में पक्षकारों का स्वत्व एवं अधिकार तथा हिस्सा के निर्धारण किए बगैर कतई संभव नहीं है। जब की विधि प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि में पक्षकारों के स्वत्व अधिकार एवं हिस्से का निर्धारण मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही आधारित किया जा सकता है तदनुसार उक्त वाद को श्रवण का माननीय न्यायालय को नहीं है। वादी ने अपने अभिवचन में स्वयं यह भी कथित किया है कि प्रश्नपत्र विक्रय पत्र बिना अधिकार निष्पादित किया गया है तथा वादी ने अपने अभी वचनों में प्रश्न गत बैनामा की प्रकृति को शून्य अभी कथित किया है तदनुसार भी उक्त वाद को श्रवण का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 में प्रश्नगत भूमि को खरीदने से पूर्व उस पर प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 का राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होना देखकर तथा उस पर उक्त प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 का वास्तविक अधिकार एवं आधिपत्य देखकर खरीदा था विक्रय की गई भूमि पर विक्रेता प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 का सर्वाधिकार आधिपत्य कराया था इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त प्रश्न गत भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 का स्वामित्व अधिकार एवं आधिपत्य देखकर खरीदा है तथा अपने द्वारा विक्रय की गई भूमि पर उसने प्रतिवादी उत्तर दाता का आधिपत्य कराया है। तदनुसार प्रतिवादी उत्तर दाता प्रश्नगत भूमि का सद्भाविक क्रेता है तथा वादी को कोई भी अधिकार सद्भाविक क्रेता के विरुद्ध उक्त वाद को प्रस्तुत करने का नहीं है। इस आधार पर भी वादी का वाद सर्वथा खंडित होने योग्य है। वादी यह भली-भांति जानता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की गई भूमि में उसका कोई भी हक हिस्सा अथवा स्वत्व नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वाद धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि के वास्तविक स्वामी एवं उस पर काबिज प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिकार हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना सर्वथा वर्जित है तदनुसार उक्त वाद धारा 34 38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष के प्रावधानों से बाधित है। उक्त वाद धारा 371 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। वास्तविकता यह है की वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 2 व 3 आपस में सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी संख्या एक वादी के भाई की पत्नी है तथा वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 ने आपस में साज कर लिया है तथा वादी ने उक्त वाद प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 से चार्ज करके दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रतिवादी संख्या 4 पर नाजायज दबाव बनाकर धन ऐंठने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 जानबूझकर वादे से आपसी साथ एवं षड्यंत्र के अनुसार उक्त वाद में उपस्थित होकर अपनी ओर से प्रतिवाद पत्र भी दाखिल नहीं करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कुल कथन वादी वाद पत्र सर्वथा मिथ्या है। वादी ने उक्त वाद सर्वथा बेईमानी करने की नियत से व साज प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 प्रस्तुत किया है जो किसी भी दशा में फिर रहने योग्य नहीं है और हर हालत में खंडित होने योग्य है तथा प्रतिवादी संख्या 4 अपना विशेष खर्चा खर्चा वादी से पाने का अधिकारी है।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए गए।

1. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित आधारों पर बैनामा दिनांकित 26.08.2009 को निरस्त करवा पाने का अधिकारी है? यदि हां तो प्रभाव

2. क्या वादी प्रतिवादी गणित के विरुद्ध विवादित भूमि जिसका विवरण वाद पत्र में अंकित है पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

3. क्या विवादित विक्रय पत्र दिनांकित 20.11.2009 धारा 52 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है? यदि हां तो प्रभाव

4. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

5. क्या वादी द्वारा अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है?

6. क्या वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित है?

7. क्या वादी का वाद धारा 5 उ0प्र0जो0च0अधि0 के प्रावधानों से बाधित है?

8. क्या किस न्यायालय को उक्त वाद का श्रवण अधिकार प्राप्त है?

9. क्या वादी का वाद धारा 34, 38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?

10. क्या वादी का वाद धारा 33 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?

11. वादी किस वांछित अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य पी0डब्लू 1 के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 35ए2, पी0डब्लू2 के रूप में जफरुद्दीन का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 37ए2 पत्रावली पर दाखिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पी0डब्लू1 गुलशेर खां व पी0डब्लू2 जफरुद्दीन से जिरह की गई।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त कागज संख्या 9ग1 से एक किता नकल वसीयतनामा कागज संख्या 10ग1/1 लगायत 3, एक किता नकल खतौनी कागज संख्या 11ग1, एक किता नकल विक्रय पत्र कावर संख्या 12ग1/1 लगायत 13 पत्रावली पर दाखिल किए गए हैं।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त कागज संख्या 40ग1 से एक किता नकल खतौनी कागज संख्या 40ग1/2, एक किता नकल खतौनी कागज संख्या 40ग1/3, एक किता नकल खसरा कागज संख्या 40ग1/4, एक किता नकल आदेश तहसीलदार कागज संख्या 40ग1/5, एक किता नकल आदेश तहसीलदार कागज संख्या 40ग1/6, एक किता नकल आदेश तहसीलदार दिनांक 03/05/17 कागज संख्या 40ग1/7, एक किता नकल आदेश धारा 5 का प्रकाशन कागज संख्या 40ग1/8 कथा एक किता नकल अपील एस0डी0एम0 कागज संख्या 40ग1/10 पत्रावली पर दाखिल किए गए।

43 A/5

निष्कर्ष

1. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 1

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी वाद पत्र में वर्णित आधारों पर बैनामा दिनांकित 26/08/2009 को निरस्त करवा पाने का अधिकारी है? यदि हां तो प्रभाव

इस वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से यह कथन किया गया है कि विवादित संपत्ति के संक्रमणीय भूमिधर मृतक श्री दीन मोहम्मद पुत्र श्री अमोरा थे और उक्त कृषि भूमि की बाबत सर्वाधिकार मृतक श्री दीन मोहम्मद को प्राप्त थे। विवादित संपत्ति के हस्तांतरण इत्यादि के सर्वाधिकार मृतक श्री दीन मोहम्मद को प्राप्त थे। मृतक श्री दीन मोहम्मद लाऔलाद थे। इस वजह से वादी उनके पास ही रहता था तथा उनकी हर प्रकार से देखभाल व सेवा सुश्रुषा करता था। विवादित कृषि भूमि में कृषि कार्य वादी मृतक श्री दीन मोहम्मद के जीवन काल से ही करता चला आ रहा है। वादी की इस सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर मृतक श्री दीन मोहम्मद ने अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति को रजिस्टर्ड वसीयत वादी के हक में दिनांक 05/07/93 को तहरीर व निष्पादित कर दी। मृतक श्री दीन मोहम्मद का स्वर्गवास वर्ष 1997 में हो गया है। मृतक श्री दीन मोहम्मद के मृत्यु के बाद वादी उनकी समस्त चल अचल संपत्ति पर मालिक की हैसियत से काबिज व दखील है। वादी कानूनी अज्ञानता वश दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद विवादित कृषि भूमि में नाम परिवर्तन के कार्यवाही नहीं कर सका था। वादी द्वारा उक्त वसीयत के समर्थन में फेहरिस्त कागज संख्या 9ग1 से एक किता प्रमाणित नकल वसीयतनामा कागज संख्या 10ग1/2 व 3 दाखिल किया गया है। वसीयतनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक दीन मोहम्मद द्वारा प्रश्न गत कृषि भूमि वादी के पक्ष में तहरीर की गई थी जिसका सत्यापन गवाह अब्दुल खान व राधेश्याम द्वारा किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र की धारा 7 में यह कथन किया गया है क्रि दीन मोहम्मद ने अपने जीवन काल में कथित वसीयत दिनांक 05/07/1993 को अपने समस्त चल एवं अचल संपत्ति की वसीयत हरगिज़ भी वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं की बल्कि वादी ने उक्त दीन मोहम्मद की जायदाद को अनाधिकृत रूप से हड़पने एवं कब्जाने के उद्देश्य से दीन मोहम्मद के जीवनकाल में ही दीन मोहम्मद के नाम से अपनी किसी नजदीकी व्यक्ति से कथित वसीयत के गवाह से साज करके फर्जी वसीयत निष्पादित कराई है जो हरगिज भी दीन मोहम्मद द्वारा छोड़ी गई प्रश्नपत्र कृषि भूमि का मालिक नहीं है और ना ही हो सकता।

वादी ने अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 35ए2 की प्रतिपरीक्षा मैं यह कथन किया है "इस मुकदमे में वसीयत दाखिल है। असली वसीयत मेरे पास नहीं है वह खो गई थी। वसीयत खोने की रिपोर्ट नहीं की है। जिस समय मुकदमा प्रस्तुत किया था उस समय असल वसीयत मेरे पास नहीं थी। वसीयत का एक गवाह मौजूद है जिसका नाम राधेश्याम है वह मर गया है। वसीयत जाड़े में की थी या गर्मी में मुझे ध्यान नहीं है। महीना कौन सा था नहीं मालूम है। समय की भी नहीं मालूम काफी पुरानी बात है। वसीयत को मैंने चकबंदी में दाखिल नहीं किया है।" यहां यह उल्लेखनीय तथ्य है की वादी द्वारा उक्त वसीयत को सिद्ध करने हेतु किसी गवाह का साक्ष्य शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

In Surendra Pal and others v. Dr. Mrs Saraswati Arora and another (1974) 2 SCC 600,the Supreme Court had observed that "the propounder should demonstrate that the bill was signed by the testator and at the relevant time the testator was in a sound and disposing state of mind and had understood the nature and effect of

the dispositions, that he had put his signature on the testimony of his own free will and at least two witnesses have attested the will in his presence."

वादी द्वारा अपने प्रति परीक्षा कागज संख्या 30ए2 में यह कथन किया गया है कि "जिस समय वसीयत हुई थी उस समय में मौजूद था पर वसीयत पर गवाही मैंने नहीं की। वसीयत का एक गवाह मौजूद है जिसका नाम राधेश्याम है तथा एक मर गया है।" यहां यह उल्लेखनीय तथ्य है कि वादी द्वारा राधेश्याम का साक्ष्य शपथपत्र न्यायालय में दाखिल नही किया गया है तथा दूसरे गवाह अब्दुल खा जो कि मर चुका है उसके पुत्र जफरूद्दीन को न्यायालय में प्रतिपरिक्षित कराया गया है जो कि स्वयं मृतक श्री दीन मोहम्मद की वसीयतनामा लिखने के समय के स्वस्थचित्त के संदर्भ में नहीं बता सकता है।

S. 68 of the Indian Evidence Act, 1872 states that

Proof of execution of document required by law to be attested-

If a document is required by law to be attested it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the court and capable of giving evidence.

Provided that it shall not be necessary to call and attesting witness in proof of the execution of any document, not being a will, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act 1908, unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied.

In Jaswant Kaur SLP (C) No. 26957 of 2018, it was stated that

"1. A will has to be proved like any other document, the test to be applied being the usual test of the satisfaction of the prudent mind in such matters. As in the case of proof of other documents, so in the case of proof of wills one cannot insist on proof with mathematical certainty.

2. Since Section 63 of the Succession Act requires a bill to be attested, it cannot be used as evidence until as required by section 68 of the succession act, one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness a live, and subject to the process of the court and capable of giving evidence.

3. It is in connection with wheels, the execution of which is surrounded by suspicious circumstances that the test of satisfaction of the judicial can science has been evolved. That test emphasizes that in determining the question as to whether an instrument produced before the court is the last will of the testator, the court is called upon to decide a solemn question and by reason of suspicious circumstances. The Court has to be satisfied fully that the will has been validly executed by the testator.

4. If a caveator alleges fraud, undue influence, coercion in regard to the execution of the will, such pleas have to be proved by him but even in the absence of such pleas, the very circumstances surrounding the execution of the will erase all doubt as to whether the testator was acting of his own free will. And then it is a part of the initial onus of the propounder to remove all reasonable doubt in the matter."

43 अ / 6

प्रमाणित नकल वकालतनामा कागज संख्या 10ग1/2 व 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयतनामा को अब्दुल खा व राधेश्याम द्वारा सत्यापित किया गया था। वादी द्वारा उपरोक्त दोनों गवाह में से किसी का भी साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे वसीयतनामा का सत्यापन सिद्ध किया जा सके।

In K. Laxmanan v. Thekkayil Padmini & ors. (2009) 1 SCC 354, the Hon'ble Supreme Court stated that

"since both the attesting witnesses had not been examined in terms of section 69 of Evidence Act it was incumbent upon the propounder of the will to prove the attestation of of at one attesting witness was in his handwriting and that the sign of the persons executing the document was in the handwriting of those persons"

वादी द्वारा जफरुद्दीन का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 37ए2 पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसकी प्रति परीक्षा में जफरुद्दीन द्वारा यह कथन किया गया है कि "मैं वसीयतनामा कागज संख्या 10ग1/2 व 3 को नहीं पढ़ सकता है। मैं दस्तखत करता हूं। मेरे पिता वसीयत के गवाह थे मैं गवाह नहीं हूं। मेरा मैं उनके साथ आया था।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है की पी डब्लू2 जफरुद्दीन द्वारा वसीयतनामा नहीं पहचाना गया है। वह कागज संख्या 10ग1/2 व 3 को नहीं पढ़ सकता है। अतः पी डब्लू2 जफरुद्दीन, दीन मोहम्मद की लिखी गई वसीयतनामा को सिद्ध करने में असफल रहा है।

In Kashibhai & Anr. v. Parwatibai & ors. 1995 (6) SCC 213, it was held that

" in the case of a will covered under section 63 of the succession Act, at least one attesting witness must not only be examined to prove attestation by him but he must also Prove the attestation by the other attesting witness."

अतः वादी उपरोक्त वसीयतनामा को सिद्ध करने में असफल रहा है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र की धारा 6 में यह कथन किया गया है कि मृतक दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेखों में विरासत के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम की प्रविष्ट हो गई। । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि के 2/3 भाग का तथाकथित विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया जाना दर्शित कर दिया है। वादी द्वारा समर्थन में फेहरिस्त कागज संख्या 9ग1 से एक किता नकल खतौनी कागज संख्या 11ग1 पत्रावली पर दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित कृषि भूमि पर मृतक दीन मोहम्मद का नाम निरस्त होकर वारिसान गुलशेर खां, शमशेर खां, उस्मान खां पुत्रगण अल्ला नूर का नाम बतौर वारिस दर्ज हुआ। उसके बाद विक्रेता शमशेर खान व उस्मान खान पुत्र गण अल्ला नूंर का नाम निरस्त होकर क्रेता श्रीमती रुखसाना पत्नी शमशेर खां का नाम बतौर बैनामा दिनांक 25/08/2009 के आधार पर दर्ज हुआ। वादी द्वारा उक्त बैनामा का नकल विक्रय पत्र कागज संख्या 12ग1/2 लगायत 13 पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से यह विदित है की विवादित कृषि भूमि का 2/3 भाग बिक्रेता शमशेर खान उस्मान खान ने क्रेता रुखसाना पत्नी शमशेर खान क्रय कर दिया था।

प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 3 ने दौरान बाद प्रतिवादी संख्या 4 से साजिश करके तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 20/11/2009 वादी के वैधानिक अधिकारों को प्रभावित करने की नियति से साजिश षड्यंत्र के तहत प्रतिवादी संख्या 4 के हक में तहरीर व निष्पादित किया जाना दर्शित कर दिया है जो धारा 52 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है और शून्य दस्तावेज है।

BV

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र की धारा 10 में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 रुखसाना ने अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति वश अपने द्वारा की गई संपत्ति का विक्रय प्रतिवादी संख्या चार को कर दिया तथा अब प्रतिवादी संख्या 4 अपने द्वारा खरीदी गई भूमि पर बतौर मालिक काबिज होकर खेती कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने कथन के समर्थन में फेहरिस्त कागज संख्या 40ग1 से एक किता नकल खतौनी कागज संख्या 40ग1/3 दाखिल की गई है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है की विवादित कृषि भूमि पर वादी गुलशेर खां व प्रतिवादी संख्या 4 डोरीलाल का नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा फेहरिस्त कागज संख्या 40ग1 से एक किता नकल खसरा कागज संख्या 40ग1/4 दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि पर वादी गुलशेर खां व प्रतिवादी संख्या 4 डोरीलाल काबिज है व खेती करते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती जमील बेगम प्रति समी मोहम्मद AIR 2019 SC 72 में इस आशय की विधि वृत्त की गई है कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत सब रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाए गए विक्रय पत्र पर उक्त अधिनियम की धारा 60(2) के अंतर्गत सब रजिस्ट्रार द्वारा अंकित किए गए पृष्ठांकन अथवा प्रमाण पत्र के आधार पर विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में न्यायालय द्वारा इस आशय की उपधारणा (presumption) कायम की जानी चाहिए कि विक्रय पत्र का निष्पादन वह पंजीयन विक्रेता द्वारा वैध रूप से संपन्न करवाया गया था।

उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अंकित किए गए उपरोक्त निष्कर्षो के आलोक में वादी यह वाद बिंदु अपने पक्ष में साबित कर पाने में पूरी तरह असफल रहा है।

अतः वाद बिंदु संख्या 1 वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

2. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 2

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी प्रतिवादी गण के विरुद्ध विवादित भूमि जिसका विवरण वाद पत्र में अंकित है पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त वाद बिंदु साबित करने का भार वादी पर है। वादी उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार वसीयतनामा को सिद्ध करने मे असफल रहा है। वादी विवादित कृषि भूमि का पूर्णतः स्वामी नही है अर्थात खतौनी कागज संख्या 40ग1 3 के अनुसार सहस्वामी है। यहा यह उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 सहस्वामी है तथा विवादित कृषि भूमि का विधिवत विभाजन पत्रावली के दस्तावेजो के अनुसार नही हुआ है। अतः वादी विवादित कृषि भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है।

अतः वाद बिंदु संख्या 2 वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

3. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 3

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या विवादित विक्रय पत्र दिनांकित 20/11/2009 धारा 52 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है? यदि हां तो प्रभाव

उक्त वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा उक्त के समर्थन में कोई तर्क अथवा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह वाद बिंदु वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

4. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 4

वाद बिंदु संख्या 4 इस आशय से विरचित किया गया है की क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

उक्त वाद बिंदु का निस्तारण दिनांक 08/05/2019 को हो चुका है जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

5. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 5

वाद बिंदु संख्या 5 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है?

उक्त वाद बिंदु का निस्तारण दिनांक 27/05/2019 को हो चुका है जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

6. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 6

वाद बिंदु संख्या 6 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित है?

उक्त वाद बिंदु प्रतिवादी के कथनों पर आधारित है । अतः इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है परंतु प्रतिवादी द्वारा उक्त के संबंध में कोई तर्क अथवा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके की वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित है। आता यह वाद बिंदु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

7. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 7

वाद बिंदु संख्या 7 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी का वाद धारा 5 उ०प्र०जो०च०अधि० के प्रावधानों से बाधित है?

उक्त वाद बिंदु प्रतिवादी के कथनों पर आधारित है। अतः इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है परंतु प्रतिवादी द्वारा उक्त के संबंध में कोई तर्क अथवा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके की वादी का वाद धारा 5 उ०प्र०जो०च०अधि० के प्रावधानों से बाधित है। अतः यह वाद बिंदु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

8. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 8

वाद बिंदु संख्या 8 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या इस न्यायालय को उक्त वाद का श्रवण अधिकार प्राप्त है?

उक्त वाद बिंदु प्रतिवादी के कथनों पर आधारित है।अतः इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है परंतु प्रतिवादी द्वारा उक्त के संबंध में कोई तर्क अथवा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके की इस न्यायालय को उक्त वाद का श्रवण अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद बिंदु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

9. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 9

वाद बिंदु संख्या 9 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी का वाद धारा 34 38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?

उक्त वाद बिंदु प्रतिवादी के कथनों पर आधारित है।अतः इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है परंतु प्रतिवादी द्वारा उक्त के संबंध में कोई तर्क अथवा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके की वादी का वाद धारा 34,38 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। अतः यह वाद बिंदु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

10. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 10

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी का वाद धारा 33 उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है?

उक्त वाद बिंदु प्रतिवादी के कथनों पर आधारित है।अतः इस वाद बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है परंतु प्रतिवादी द्वारा उक्त के संबंध में कोई तर्क अथवा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके की वादी का वाद धारा 33 उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। अतः यह वाद बिंदु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

43 A/8

11. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 11

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी वांछित अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

उपरोक्त सभी विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है अतः वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या 11 निस्तारित किया जाता है।

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाए।

27.10.2021

भावना शर्मा

दिनांक: 27 | 10 | 2021

अपर सिविल जज (क.प्र.)

कोर्ट संख्या 5

हाथरस

जे0 ओ0 कोड यूपी 3592

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

27.10.2021

भावना शर्मा

दिनांक: 27 | 10 | 2021

अपर सिविल जज (क.प्र.)

कोर्ट संख्या 5

हाथरस

जे0 ओ0 कोड यूपी 3592